11.7.2023	पत्रावली आज पेश हुई। कोई उपस्थित नहीं आया। अवलोकन किया गया। वकील अपीलान्ट द्वारा गत पेशी 7.2.2023 पर कोई सूचना नहीं होना एवं अपीलान्ट की ओर से उनको कोई पैरवी की हिदायत नहीं होना जाहिर करते हुये पैरवी किये जाने से इन्कार किया गया। तदोपरान्त वकील की कोताही से किसी पक्षकारान के हक हकूकों पर विपरीत असर नहीं पडे इसलिऐ न्यायहित में उभयपक्षकारान को कार्यालय स्तर से नोटिस कमांक 202–03 दिनांक 13.2.2023 भी जारी किये गये। जो उसकी पत्नी ने प्राप्त किये है तामीली सम्मन शामिल है। किन्तु आज दिनांक तक कोई उपस्थित नहीं आया। इस पत्रावली को राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर के यहां से मुन्तिकिल होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुये करीव 3 साल से अधिक का एक लम्बा अर्सा गुजर चुका है। गत पेशी पर वकील अपीलान्ट द्वारा अपीलान्ट की ओर से कोई सूचना नहीं होना जाहिर किया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को कई बार, बार–बार आवाजे दिलवायी गई किन्तु न तो अपीलान्ट उपस्थित आये और न ही उनकी ओर से कोई प्रतिनिधि उपस्थित हुये। अपीलान्ट का यह रवैया उनकी केस को आगे न चलाये जाने की दिचस्पी को दर्शाता है। जवकि प्रचलित नियमों के अंतर्गत वाद को सिद्ध करने /नियमानुसार न्यायिक प्रक्रियाओं की पूर्ति किये जाने का पूर्णरूपेण दायित्व प्रार्थी /वादी/अपीलान्ट का ही रहता है। 3 साल से अधिक समय का एक लम्वा अर्सा गुजार जाने के उपरान्त भी अपीलान्ट द्वारा इस ओर कोई तवज्जो न दिया जाना प्रकरण की देरीन के मध्यनजर कतई न्यायोचित नहीं है। अपीलान्ट का न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं होना एवं किसी भी अपीलान्ट की ओर से अपने वकील को विचाराधीन अपील में विधिवत पैरवी किये जाने हेतु कोई हिदायत नहीं देना उनकी इस अपील को आगे नहीं चलाये जाने की मंशा को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में जव स्वयं अपीलान्टस अथवा उनके वकील की ओर से अपील में विधिवत पैरवी किये जाने की कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं हो रही है तो इस अपील को आगे चलाये जाने का अव कोई औचित्य नहीं रहता है। लिहाजा यह अपील अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैशल शुमार होकर वाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे। 11.7.2023 संभागीय आयुक्त ,भरतपुर